

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

(जी-3, राजगहल पैलेस रेजिडेंशियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गौदाम जयपुर-302013)
(टैलीफैक्स-0141-2222403, ई-मेल-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org)

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई-1/डीएलबी/2024/1562

दिनांक: 22.02.2024

-:आदेश:-

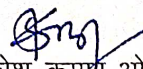
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1.	धर्मेन्द्र कुमार	राजस्व निरीक्षक	मांगरोल (स्थानान्तरणाधीन)	नावां
2.	चित्रांगदा सिंह	राजस्व निरीक्षक	जोधपुर दक्षिण	जैसलमेर
3.	राजकुमार	राजस्व निरीक्षक	धौलपुर	नीमराणा
4.	नटवर बसवाल	राजस्व निरीक्षक	जयपुर ग्रेटर	बयाना (मूल पद पर)
5.	अंजली शर्मा	राजस्व निरीक्षक	पदमपुर	श्रीकरणपुर
6.	संजीव कुमार शर्मा	राजस्व निरीक्षक	पावटा-प्रागपुरा	कुचामन सिटी
7.	अचल सिंह गुर्जर	राजस्व निरीक्षक	अंता	सोजत
8.	गंगाराम	राजस्व निरीक्षक	हनुमानगढ़ से जोधपुर दक्षिण	हनुमानगढ़
9.	राधामोहन सैनी	राजस्व निरीक्षक	जयपुर हैरिटेज	छोटी सादडी
10.	पूरण सिंह	राजस्व निरीक्षक	हिंडौनसिटी	सिरोही
11.	जितेन्द्र व्यास	राजस्व निरीक्षक	पाली	राजसमन्द (मूल पद पर)
12.	अक्षय कुमार जैन	सहायक राजस्व निरीक्षक	कोटा उत्तर	जोबनेर
13.	कालुराम सैन	सहायक राजस्व निरीक्षक	सूरतगढ़	भरतपुर
14.	विककी कुमार शर्मा	सहायक राजस्व निरीक्षक	अजीतगढ़	सूरतगढ़

उपर्युक्त कार्मिकों को आगामी वेतन नवपदस्थापित निकाय से देय होगा।

नोट:-

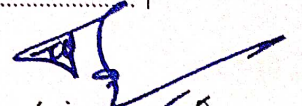
01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा आपकी व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन भत्ते का भुगतान किया जावे।
03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/सविंदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
04. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
05. रिक्त पद होने पर ही सम्बन्धित कर्मचारी को ज्वाइन करावे।
06. कार्मिक को अपने मूल पद पर ही कार्यग्रहण करावे एवं सफाई कर्मचारी से मूल पद का ही कार्य करवाया जावे।
07. माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश होने पर उक्त स्थानान्तरण लागू नहीं होंगे।


(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

a/c
A

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई-I/डीएलबी/2024/1563-1600 दिनांक: 22.02.2024
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं सयुक्त सचिव महोदय, स्वा.शा. विभाग राज. जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग.....।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आई. टी. अनुभाग, निदेशालय को लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय साईट पर अपलोड की कार्यवाही करें।
7. संबंधित कर्मचारी श्री/श्रीमती।
8. सुरक्षित पत्रावली।


(चांद मल वर्मा)
अतिरिक्त निदेशक

ay/c
4